



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://the.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक एफ 12(156)विविध/आयो/आकाशि/2021/ 552

दिनांक 05 अगस्त, 2021

प्राचार्य,

समस्त राजकीय महाविद्यालय,

राजस्थान।

विषय:—राजकीय भवनों में रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम, भू-जल पुनर्भरण संरचना निर्माण एवं जल अपव्यय को रोकने के संबंध में।

सन्दर्भ:—शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग का परिपत्र क्रमांक डी-146 दिनांक 14.07.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग का परिपत्र क्रमांक डी-146 दिनांक 14.07.2021 की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि राजकीय भवनों में रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम, भू-जल पुनर्भरण संरचना निर्माण एवं जल अपव्यय को रोकने के संबंध में परिपत्र में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे।

संलग्न:— उपर्युक्तानुसार

भवदीया,

(डॉ. दीपाली भार्गव)

संयुक्त निदेशक (आयोजना)

कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

क्रमांक एफ 12(156)विविध/आयो/आकाशि/2021/ 553-57 दिनांक 05 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1—शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2—शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग का परिपत्र क्रमांक डी-146 दिनांक 14.07.2021
- 3—मुख्य अभियन्ता (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4—संयुक्त निदेशक (प्रशासन) कॉलेज शिक्षा राज० जयपुर।
- 5—वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज० जयपुर को अपलोड करने बाबत।

(डॉ. दीपाली भार्गव)

संयुक्त निदेशक (आयोजना)

कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

201

S.No. 42 N

87

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

प.मु.अ./सा.नि./अ.अ. एस.एस&सी/परिपत्र/2021-22/डी-146 दिनांक: 14/7/21

उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
पत्र-प्राप्ति क्रमांक...29.1.1
दिनांक...20/7/21

परिपत्र

विषय:- राजकीय भवनों में रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम, भू जल पुनर्भरण संरचना निर्माण एवं जल अपव्यय को रोकने बाबत।

जल के अत्यधिक दोहन व अपव्यय के कारण भूजल के स्तर में लगातार आ रही गिरावट राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले राज्य में चिंता का विषय है। इस संबंध में भवनों की छत एवं टैरस (Terrace) से व्यर्थ बहने वाले वर्षा के जल के संरक्षण के सम्बन्ध में भूजल विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12(5)/भूजल /2015 दिनांक 17.06.2016 एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.ई./पी.डब्ल्यू.डी/डीएण्टी/परिपत्र/ 2016/डी-130 दिनांक 24.08.2016 जारी किये गये है।

JS, TE

DS, HE-3

JS, HE-4

इसी संदर्भ में वर्षा जल के संरक्षण एवं भवनों में जल के अपव्यय को रोकने के लिए निम्न निर्देश जारी किये जाते है:-

1. भविष्य में निर्माण किये जाने सभी राजकीय भवनों में रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम आवश्यक एवं उचित क्षमता के बनाये जाये एवं उनके माध्यम से जल संरक्षण सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु उनका समय समय पर रख रखाव सही तरीके से किया जावे। भवनों में स्थित खुले क्षेत्र तथा परिसर में स्थित पक्के क्षेत्र (Paved Area) से बहने वाले जल का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाये।
2. निर्मित की जाने वाले सभी राजकीय भवनों में आवश्यक रूप से ड्युअल फ्लिशिंग सिस्टर्न (Dual Flushing Cistern) लगाये जाये तथा पुराने भवनों में यदि सिस्टर्न बदलने की आवश्यकता हो तो नये केवल ड्युअल फ्लिशिंग सिस्टर्न (Dual Flushing Cistern) ही लगाये जावे।

15-07-2021

AS

19/7/2021

19/7/2021

19/7/2021

19/7/2021

19/7/2021

कार्यालय शासन सचिव
उच्च एवं सार्वजनिक शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
आगरी संख्या: 3991
दिनांक: 16/7/21

19/7/2021
(चिन्न हरी मीना)
शासन सचिव

प.मु.अ./सा.नि./अ.अ. (अनं. 2) /परिपत्र/2021-22/डी- दिनांक: 15/07/21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर..... (समस्त)
- 2- विभागाध्यक्ष,..... (समस्त)
- 3- मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि., पथ/भवन/एन.एच./गुणनियंत्रण/विद्युत।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी.लिमिटेड, जयपुर।
- 5- मुख्य वास्तुविद् सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- 6- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि., संभाग..... (समस्त)
- 7- अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि., वृत्त..... (समस्त)
- 8- अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., खण्ड..... (समस्त)



(एल.के.गुप्ता) 15.7.21

अधीक्षण अभियन्ता (भवन)